Not to be filled by the Candidate
(अभ्यर्थी द्वारा नहीं भरा जाये)

Total Pages - 48

Time : 3 Hours समय : तीन घंटे	Maximum Marks : 100 पूर्णांक : 100

महत्त्वपूर्ण निर्देश IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. अपेक्षित विवरण केवल "प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका" के ऊपर दिये गये फ्लैप पर ही लिखें, अन्य किसी स्थान पर नहीं।
2. "प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका" (रफ कार्य के पृष्ठ सहित) के अन्दर कहीं पर भी कोई पहचान चिन्ह यथा रोल नम्बर, नाम, पता, मोबाईल नम्बर/टेलीफोन नम्बर, देवताओं के नाम अथवा किसी भी प्रश्न के उत्तर से असंबंधित शब्द, वाक्य एवं अंक लिखे जाने या अंकित किये जाने को अनुचित साधनों का उपयोग माना जायेगा। ऐसा पाये जाने पर अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
3. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर व्यवधान उत्पन्न करता है या वीक्षण स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है अथवा धोखापूर्ण कार्य करता है तो वह स्वयं ही अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा। वह राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के तहत दाण्डिक कार्यवाही हेतु भी उत्तरदायी माना जायेगा।
4. प्रश्न पत्र 'अ' और 'ब' दो भागों में विभाजित है। प्रत्येक भाग में से किये जाने वाले प्रश्नों की संख्या और उनके अंक उस भाग में अंकित किये गये हैं।
5. भाग 'अ' में 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं तथा प्रत्येक के चार उत्तर विकल्प दिये गये हैं। अभ्यर्थी विकल्पों के सामने बने खानों में से सही उत्तर के सामने बने खाने में सही का चिन्ह ✓ लगाकर स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करें, किसी अन्य स्थान पर नहीं। प्रत्येक प्रश्न का एक ही उत्तर दिया जाना है। एक से अधिक उत्तर दिये जाने की दशा में उत्तर गलत माना जायेगा।
6. भाग 'ब' में दिये गये प्रश्नों के उत्तर "प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका" में प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिये गये स्थान पर ही लिखे जायें और नहीं, अन्यथा ऐसे उत्तर का मूल्यांकन परीक्षक द्वारा नहीं किया जायेगा।
7. अभ्यर्थी अपने उत्तर निर्धारित जगह से अधिक में नहीं लिखें। किसी भी परिस्थिति में पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जायेगी।
8. उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी किसी एक भाषा में दीजिये, दोनों में नहीं। फ्लैप पर उत्तर के माध्यम के खाने में उसी भाषा के विकल्प को चिन्हित करें।
9. किसी प्रश्न में अंग्रेजी व हिन्दी भाषान्तर में कोई अन्तर हो तो अंग्रेजी भाषान्तर को प्रामाणिक माना जाये।
10. यदि "प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका" कहीं से कटी फटी या अमुद्रित है, तो अविलम्ब वीक्षक के ध्यान में लाकर उसे बदलवा लें अन्यथा उसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
11. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ प्रवेश करना सर्वथा वर्जित है।

* * * * *

1. Write the required particulars only on the flap provided on the top of "Question Paper-cum-Answer Book"; and not at any other place.
2. Do not write any mark of identity inside the "Question Paper-cum-Answer Book" (including paper for rough work) i.e. Roll No., Name, Address, Mobile No./Telephone No., Name of God etc. or any irrelevant word other than the answer of question. Such act will be treated as unfair means. In such a case the candidature of the candidate shall be rejected for the entire examination.
3. If a candidate is found creating disturbance at the examination centre or misbehaving with Invigilating Staff or cheating will render him liable for disqualification. He shall also be liable for penal action under The Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 1992.
4. The question paper is divided into two parts, A and B. The number of questions to be attempted and their marks are indicated in that part.
5. There are Twenty (20) objective type questions in Part 'A' of the "Question Paper-cum-Answer Book", each having four (4) alternative options. Candidate should clearly indicate the correct answer of objective type question by marking sign of correct ✓ in the box of right answer option amongst the boxes provided for against each option and not elsewhere. Only one answer is to be indicated for each question. Marking of more than one answer would be treated as wrong answer.
6. The answers of the questions in the Part 'B' should strictly be written in the space provided below question and not elsewhere, otherwise, such answer shall not be assessed by the examiner.
7. Candidates do not write the answers beyond the space prescribed. No Supplementary Answer Book shall be provided in any case.
8. Attempt answers either in Hindi or in English, not in both. Specify an option by ticking that language in box of medium of answer on the flap.
9. In any question, if there is any discrepancy in English & Hindi versions, the English version is to be treated as standard.
10. In case the "Question Paper-cum-Answer Book" is torn or not printed properly, bring it to the notice of Invigilator for change, at earliest otherwise the candidates will be liable for that.
11. Possession of any electronic device is strictly prohibited in the Examination Hall.

Part-A / भाग–अ Marks / अंक - 20
Objective / वस्तुनिष्ठ

Note:-Attempt all the 20 Questions. Each question carries 1 mark.
नोटः–समस्त 20 प्रश्नों का उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित है।

Question No.1

Which Article of the Constitution of India prohibits providing of religious instructions in any educational institution wholly maintained out of the State Funds?

(1) Article 25
(2) Article 27
(3) Article 24
(4) Article 28

प्रश्न संख्या 1

राज्य–निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा देना भारत के संविधान का कौनसा अनुच्छेद निषेध करता है ?

(1) अनुच्छेद 25
(2) अनुच्छेद 27
(3) अनुच्छेद 24
(4) अनुच्छेद 28

Question No.2

'All the laws which are inconsistent with the fundamental rights, though become inoperative from the date of commencement of the Constitution, are not dead altogether. They are overshadowed by the fundamental rights and remain dormant.' This is known as :

(1) Doctrine of Pleasure.
(2) Doctrine of Pith and substance.
(3) Doctrine of Eclipse.
(4) Doctrine of Severability.

प्रश्न संख्या 2

'वह समस्त विधियां, जो मूलभूत अधिकारों से असंगत हैं, संविधान के लागू होने की दिनांक से प्रभावहीन हो जाती हैं किन्तु मृत नहीं होती हैं। वे केवल मूलभूत अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाती हैं और सुशुप्तावस्था में रहती हैं।' यह सिद्धान्त कहलाता है :

(1) प्रसाद का सिद्धान्त।
(2) सार एवं तत्व का सिद्धान्त।
(3) ग्रहण का सिद्धान्त।
(4) पृथक्करणीयता का सिद्धान्त।

Question No.3

Under Section 47 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996, for enforcement of Foreign Awards, "Court" means:

(1) The principal Civil Court.
(2) Supreme Court of India.
(3) High Court.
(4) None of the above.

प्रश्न संख्या 3

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 47 के अन्तर्गत विदेशी पंचाट् के प्रवर्तन के लिए, 'न्यायालय' से अभिप्रेत है :

(1) प्रधान सिविल न्यायालय।
(2) भारत का सर्वोच्च न्यायालय।
(3) उच्च न्यायालय।
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Question No. 4

A decree passed in a summary suit under Order XXXVII CPC can be set aside by the court:

(1) For any sufficient cause.
(2) Under special circumstances.
(3) Under any circumstance.
(4) None of the above.

प्रश्न संख्या 4

आदेश 37 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत एक संक्षिप्त दावे में पारित डिक्री को न्यायालय द्वारा अपास्त किया जा सकता है :

(1) किसी पर्याप्त हेतुक के लिए।
(2) विशेष परिस्थितियों में।
(3) किसी भी परिस्थिति में।
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Question No. 5

Under Section 171 of the Motor Vehicles Act, 1988, a Claims Tribunal may direct payment of simple interest in addition to the amount of compensation from:

(1) The date of accident.
(2) Not earlier than the date of making the claim.
(3) Not earlier than the date of award.
(4) None of the above.

प्रश्न संख्या 5

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 171 के अन्तर्गत दावा अधिकरण प्रतिकर की रकम के अतिरिक्त साधारण ब्याज संदाय करने का निर्देश दे सकेगा :

(1) दुर्घटना की दिनांक से।
(2) उस दिनांक से जो दावा करने की दिनांक से पहले की न होगी।
(3) उस दिनांक से जो पंचाट की दिनांक से पहले की न होगी।
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Question No. 6

Where two persons have died in circumstances rendering it uncertain as to who survived the other, what presumption can be drawn under Section 21 of the Hindu Succession Act, 1956:

(1) Younger survived the elder.
(2) Elder survived the younger.
(3) No specific presumption.
(4) Both of them died simultaneously.

प्रश्न संख्या 6

जहां दो व्यक्तियों की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में हो जिसमें यह अनिश्चित हो कि उनमें से कौन दूसरे का उत्तरजीवी रहा, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 21 के अन्तर्गत क्या उपधारणा की जायेगी :

(1) कनिष्ठ ज्येष्ठ का उत्तरजीवी रहा।
(2) ज्येष्ठ कनिष्ठ का उत्तरजीवी रहा।
(3) कोई भी विनिर्दिष्ट उपधारणा नहीं।
(4) दोनों की मृत्यु एक साथ हुई।

Question No.7

Under the provisions of Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956, a Hindu is not bound to maintain:

(1) His minor illegitimate child.
(2) His major legitimate child.
(3) His aged or infirm parents, who are unable to maintain themselves.
(4) None of the above.

प्रश्न संख्या 7

हिन्दू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत एक हिन्दू भरण–पोषण करने के लिए आबद्ध नहीं है :

(1) अपने अवयस्क अधर्मज का।
(2) अपने वयस्क धर्मज का।
(3) अपने वृद्ध एवं शिथिलांग जनकों का, जो अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ हों।
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Question No. 8

Under Registration Act, 1908, a document other than a Will can be accepted for registration if the same is presented for that purpose:

(1) Anytime after its execution.
(2) Within four months from the date of its execution.
(3) After six months from the date of its execution.
(4) After one year from the date of its execution.

प्रश्न संख्या 8

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत वसीयत से भिन्न कोई भी दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रतिगृहित किया जा सकता है यदि वह उक्त प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया जाये :

(1) निष्पादन के बाद किसी भी समय।
(2) निष्पादन की दिनांक से चार माह के भीतर।
(3) निष्पादन की दिनांक से छः माह बाद।
(4) निष्पादन की दिनांक से एक वर्ष बाद।

Question No. 9

Where a person fraudulently representing that he is authorised to transfer certain immovable property, professes to transfer such property for consideration and subsequently acquires interest in the said property, such transfer:

(1) Shall be void.
(2) Shall operate.
(3) Shall be of no consequence.
(4) None of the above.

प्रश्न संख्या 9

जहां कि कोई व्यक्ति कपटपूर्वक यह व्यपदेश करता है कि वह अमुक स्थावर संपत्ति को अन्तरित करने के लिए प्राधिकृत है, ऐसी संपत्ति को प्रतिफलार्थ अन्तरित करने की प्रत्यंजना करता है एवं तत्पश्चात् उक्त संपत्ति में हित अर्जित करता है, ऐसा हस्तानान्तरण :

(1) शून्य होगा।
(2) प्रवृत्त होगा।
(3) उक्त का कोई प्रभाव नहीं होगा।
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Question No. 10

Where an instrument has been admitted in evidence, such admission can be called in question, on the ground that the instrument has not been duly stamped:

(1) At any stage of the suit.
(2) Shall not be called in question at any stage of the suit.
(3) At the time of final hearing of the suit.
(4) None of the above

प्रश्न संख्या 10

जहां कोई लिखत साक्ष्य में ग्रहित की गई है, ऐसा ग्रहण, इस आधार पर कि लिखत सम्यक रूप से स्टाम्पित नहीं की गई है, को प्रश्नगत किया जा सकता है :

(1) वाद के किसी भी प्रक्रम पर।
(2) उस वाद के किसी भी प्रक्रम में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।
(3) वाद की अन्तिम सुनवाई के समय।
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Question No. 11

Under Rajasthan Court Fees and Suits Valuation Act, 1961, where a memorandum of appeal is rejected on the ground that it was not presented within the time allowed by the law of limitation, how much of the fee shall be refunded?

(1) Full fee.
(2) One-fourth of the fee.
(3) One-half of the fee.
(4) No refund

प्रश्न संख्या 11

राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत, जहां अपील का ज्ञापन इस आधार पर नामंजूर किया जाता है कि उसे परिसीमा विधि के द्वारा अनुज्ञात समय के भीतर उपस्थापित नहीं किया गया था, कितनी फीस का प्रतिदाय किया जायेगा ?

(1) सम्पूर्ण फीस।
(2) एक–चौथाई फीस।
(3) आधी फीस।
(4) कोई प्रतिदाय नहीं।

Question No. 12

The summary ejectment of trespassers of the land held by a member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe is dealt with under which provision of Rajasthan Tenancy Act, 1955?

(1) Section 183-A
(2) Section 183-B
(3) Section 188
(4) Section 207

प्रश्न संख्या 12

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के किस प्रावधान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा धारित भूमि पर अतिक्रमियों की संक्षिप्त बेदखली की कार्यवाही की जाती है ?

(1) धारा 183–क
(2) धारा 183–ख
(3) धारा 188
(4) धारा 207

Question No. 13

The limitation of three months prescribed for making an application under Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 for setting aside an arbitral award is :

(1) Absolute and not extendable.
(2) Can be extended invoking the provisions of Section 5 of Limitation Act, 1963.
(3) Can be extended for a period not beyond 30 days if the court is satisfied that applicant was prevented by sufficient causes from making the application within limitation.
(4) Can be extended by the court under its inherent powers.

प्रश्न संख्या 13

माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 में मध्यस्थम् पंचाट को अपास्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु विहित तीन माह की मियाद :

(1) अपरिवर्तनशील एवं अविस्तारणीय है।
(2) मियाद अधिनियम 1963 की धारा 5 के अन्तर्गत विस्तारणीय है।
(3) न्यायालय के यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक पर्याप्त कारणों से विहित अवधि में आवेदन प्रस्तुत करने से निवारित रहा है 30 दिन तक की अवधि बढ़ा सकता है।

(4) न्यायालय द्वारा अपनी अन्तर्निहित शक्तियों के अन्तर्गत बढ़ाई जा सकती है।

Question No.14

Under Section 3 of Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986, a Muslim woman is entitled to :

(a) An amount equal to the sum of *mahr* or dower agreed to be paid to her at the time of her marriage or at any time thereafter according to Muslim law.

(b) All the properties given to her before or at the time of marriage or after her marriage by her relatives or friends or husband or any relative of husband or his friends.

(c) A reasonable and fair provision and maintenance to be made and paid to her within the *iddat* period by her former husband.

Which of the above is/are correct:

(1) (a) only.
(2) (b) only.
(3) (a) & (b).
(4) (a), (b) & (c)

प्रश्न संख्या 14

मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अन्तर्गत, एक मुस्लिम स्त्री, हकदार है:

(अ) विवाह के समय अथवा उसके बाद अन्य किसी समय मुस्लिम विधि के अनुसार उसको दिये जाने के लिए करारसुदा मेहर अथवा स्त्रीधन के समतुल्य राशि।

(ब) वे समस्त सम्पत्तियां जो विवाह से पूर्व अथवा विवाह के समय अथवा विवाह के पश्चात उसे अपने नातेदारों अथवा मित्रों अथवा अपने पति अथवा पति के किसी नातेदार अथवा मित्रों द्वारा दी गई हैं।

(स) इद्दत की अवधि में अपने पूर्व–पति से युक्तियुक्त एवं उचित व्यवस्था तथा भरण–पोषण की और उसे प्राप्त करने की।

उपरोक्त में से सही है :

(1) केवल (अ)
(2) केवल (ब)
(3) (अ) एवं (ब)
(4) (अ), (ब) एवं (स)

Question No.15

Where there is a contract for the sale of specific or ascertained goods, as per the provisions of Sale of Goods Act, 1930, the property in them shall stand transferred to the buyer:

(1) Immediately on the date the contract is entered into between the parties.
(2) On the day the goods are dispatched by the seller to the buyer.
(3) At such time as the parties to the contract intend it to be transferred.
(4) None of above.

प्रश्न संख्या 15

माल विक्रय अधिनियम, 1930 के अनुसार जहां कि संविदा विनिर्दिष्ट या अभिनिश्चित माल के विक्रय के लिए हो, वहां उस माल में संपत्ति क्रेता को अन्तरित होगी :

(1) पक्षकारों के मध्य संविदा होने की दिनांक से।
(2) विक्रेता द्वारा क्रेता को माल भेजने की दिनांक से।
(3) उस समय जब उसका अन्तरित किया जाना संविदा के पक्षकारों द्वारा आशयित हो।
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Question No.16

The original documents which are not produced at or before the settlement of issues, under Order XIII Rule 1 CPC :

(1) Can be produced for the cross examination of the witnesses of the other party.
(2) Can be produced for the cross examination of the party to the suit.
(3) Can be received in evidence without the leave of the Court.
(4) None of the Above.

प्रश्न संख्या 16

आदेश 13 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत जो मूल दस्तावेज विवाद्यकों के स्थिरीकरण के समय या उसके पूर्व पेश नहीं किये गये हैं :

(1) दूसरे पक्षकार के साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने के लिए पेश किये जा सकते हैं।
(2) दावे के पक्षकार के प्रतिपरीक्षण के लिए पेश किये जा सकते हैं।
(3) न्यायालय की अनुमति के बिना साक्ष्य में स्वीकार किये जा सकते हैं।
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Question No.17

Which one of the following doctrines relates to interpretation of legislative conflicts between the Union and the States :

(1) Causus omissus.
(2) Pith and substance.
(3) Stare decisis.
(4) Noscittur a soiciis.

प्रश्न संख्या 17

निम्न में से कौनसा सिद्धान्त संघ एवं राज्यों की विधायी टकराव की व्याख्या से सम्बन्धित है :

(1) केसस ओमिसस।
(2) सार और मर्म।
(3) पूर्व दृष्टान्त।
(4) साहचर्येण ज्ञायते।

Question No.18

In a suit for specific performance of the contract, which of the following reliefs can be granted by the court without the plaintiff claiming the same in the plaint:

(1) Compensation for breach of Contract.
(2) Partition and separate possession of the property in addition to specific performance of the Contract.
(3) The execution of proper conveyance or lease by the vendor or lessor.
(4) Refund of earnest money.

प्रश्न संख्या 18

संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के वाद में न्यायालय द्वारा निम्न में से कौनसा अनुतोष वादी द्वारा वादपत्र में मांग किए बिना दिया जा सकता है :

(1) संविदा भंग किए जाने के लिए प्रतिकर।
(2) संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के अतिरिक्त संपत्ति का विभाजन एवं पृथक कब्जा।
(3) विक्रेता या पट्टाकर्ता द्वारा उचित हस्तान्तरण पत्र या पट्टे का निष्पादन।
(4) अग्रिम धन का प्रतिदाय।

Question No.19

The jurisdiction of Civil Court is barred under which provision of the National Green Tribunal Act, 2010:

(1) Section 32
(2) Section 30
(3) Section 25
(4) Section 29

प्रश्न संख्या 19

राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के किस प्रावधान के अन्तर्गत सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन है :

(1) धारा 32
(2) धारा 30
(3) धारा 25
(4) धारा 29

Question No.20

An election under Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 may be called in question by any candidate at such election by presenting a petition in the manner prescribed, before the following court having jurisdiction:

(1) District Judge.
(2) Additional District Judge.
(3) Senior Civil Judge.
(4) Civil Judge.

प्रश्न संख्या 20

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत किसी निर्वाचन को ऐसे निर्वाचन के किसी अभ्यर्थी द्वारा विहित रीति से, निम्न में से किस अधिकारिता वाले न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत करके प्रश्नगत किया जा सकता है :

(1) जिला न्यायाधीश।
(2) अतिरिक्त जिला न्यायाधीश।
(3) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश।
(4) सिविल न्यायाधीश।

Part-B/ भाग–ब **Marks / अंक -80**

Subjective/Narrative

विषयनिष्ठ / वर्णात्मक

Note:-Attempt all 6 Questions. Question No. 21 and 22 carry 20 marks each. Question No. 23 to 26 carry 10 marks each.

नोटः–समस्त 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रश्न संख्या 21 एवम् 22 प्रत्येक के 20 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न
संख्या 23 से 26 प्रत्येक के 10 अंक निर्धारित हैं।

Question No.21. Write short notes on :**(20 Marks)**

(Answer **any five** out of eight. Each carries 4 marks.)

प्रश्न संख्या 21. संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिये :

(आठ में से **किन्हीं पांच** का उत्तर दीजिये।प्रत्येक के 4 अंक निर्धारित है।)

(i) 'Revision of rent in respect of existing tenancies' under the Rajasthan Rent Control Act, 2001 **(4 Marks)**

राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत 'विद्यमान किरायेदारियों के सम्बन्ध में किराये का पुनरीक्षण'।

(ii) 'Condition restraining alienation' under Transfer of Property Act, 1882. **(4 Marks)**

सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 के अन्तर्गत 'अन्य–संक्रमण अवरूद्ध करने वाली शर्त'।

(iii) Inchoate stamped instruments. **(4 Marks)**

स्टाम्पित अधूरी लिखत।

(iv) 'Property rights of a child in womb' under Hindu Succession Act, 1956. **(4 Marks)**

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत 'गर्भ स्थित अपत्य का अधिकार'।

(v) 'Opening of a new way through another khatedar's holding' under Rajasthan Tenancy Act, 1955. **(4 Marks)**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत 'किसी अन्य खातेदार की जोत में से नया मार्ग खोलना'।

(vi) 'Domestic relationship' under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005

घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत 'पारिवारिक सम्बन्ध'।**(4 Marks)**

(vii) Reliefs which may be granted by the Court under the provisions of Patents Act, 1970 in suits for infringement of patent. **(4 Marks)**

पेटेन्ट अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत पेटेन्ट के उल्लंघन के वाद में न्यायालय द्वारा दिये जा सकने वाले अनुतोष।

(viii) 'Liability of a firm for wrongful acts of the partner' under the Partnership Act, 1932 **(4 Marks)**

भागीदारी अधिनियम, 1932 के अन्तर्गत 'भागीदार के सदोष कार्यों के लिए फर्म का दायित्व'।

Question No.22. Explain the difference between :**(20 Marks)**

(Each carries 5 marks)

प्रश्न संख्या 22. निम्न के बीच अन्तर स्पष्ट कीजिए :

(प्रत्येक के 5 अंक निर्धारित हैं)

(i) Transfer of tenancy and Devolution of tenancy under the Rajasthan Tenancy Act,1955 **(5 Marks)**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत आसामी अधिकारों का अन्तरण एवं आसामी अधिकारों का अवतरण।

(ii) Full blood, Half blood and Uterine blood. **(5 Marks)**

पूर्णरक्त, अर्धरक्त और एकोदररक्त।

(iii) Vested interest and Contingent interest. **(5 Marks)**

निहित हित एवं समाश्रित हित।

(iv) Doctrine of Ejusdem Generis and Doctrine of Noscitur a sociis. **(5 Marks)**

सजाति का सिद्धान्त एवं साहचर्येण ज्ञायते का सिद्धान्त।

Question No.23 **(10 Marks)**

(I)What is meant by Discharge of Contract? Deliberate on methods of discharge and circumstances when a contract is deemed to be discharged. Explain the 'Doctrine of Frustration of contract' in light of statutory provisions and case law.

OR

(II)Indicate the circumstances which a person is bound to disclose in writing when approached in connection with his possible appointment as an Arbitrator. As per prescription

of Section 12 (5) read with Seventh Schedule of Arbitration and Conciliation Act, 1996, when a person becomes ineligible to act as an Arbitrator?

प्रश्न संख्या 23

(I)संविदा का उन्मोचन से क्या तात्पर्य है ? उन्मोचन के तरीकों एवं परिस्थितियां जब संविदा स्वतः उन्मोचित समझी जायेगी, की विवेचना करें। 'अनुबन्ध की हताशा का सिद्धान्त' को विधिक प्रावधानों एवं निर्णय विधि द्वारा स्पष्ट करें।

अथवा

(II)उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए, जिन्हें वह व्यक्ति जिसे मध्यस्थ के रूप में उसकी सम्भावित नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रस्ताव किया जाता है, उन्हें वह लिखित रूप से प्रकट करेगा। माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 12 (5) सपठित सप्तम् अनुसूची के प्रावधानानुसार कोई व्यक्ति कब एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अपात्र हो जाएगा ?

Question No.24 **(10 Marks)**

(I)'The right to privacy is protected as an intrinsic part of right to life and personal liberty enshrined in Article 21 and as part of freedom guaranteed under part III of the Constitution of India'. Elucidate the statement with reference to decision of the Supreme Court in 'Justice K.S.Puttaswamy (Retd.) vs. Union of India &Ors.':(2017) 10 SCC 1.

OR

(II)'Discrimination on the ground of sexual orientation or gender identity impairs equality before law and equal protection of laws and thus, violates Article 14 of the Constitution of India'. Discuss the statement with reference to the decision of Supreme Court in 'National Legal Services Authority vs. Union of India': (2014) 5 SCC 438.

प्रश्न संख्या 24

(I)'निजता का अधिकार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में समाविष्ट प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार एवं भाग 3 के अन्तर्गत प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार के स्वाभाविक अंग के रूप में संरक्षित है'। उक्त कथन की 'जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी (रिटायर्ड) बनाम भारत संघ एवं अन्य' :(2017) 10 SCC 1 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में व्याख्या कीजिए।

अथवा

(II)'यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान के आधार पर भेदभाव विधि के समक्ष समानता एवं विधि के समान संरक्षण को क्षीण करता है एवं इस प्रकार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है'। उक्त कथन की 'नेशनल लीगल सर्विसेज ऑथरिटी बनाम भारत संघ' : (2014) 5 SCC 438 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में व्याख्या कीजिए।

Question No.25 **(10 Marks)**

(I)Discuss the parameters and procedure as prescribed under Order XLVII CPC, by which a person aggrieved may seek Review of the judgment. What is the difference between

Appeal and Review? Whether Appeal and Review can be filed in the same matter? If yes, under what circumstances?

OR

(II)What are the essentials for proving the execution of a document required by law to be attested? Discuss with reference to provisions of Sections 68 to 71 of the Evidence Act, 1872 and the case law in this regard.

प्रश्न संख्या 25

(I) उन मापदण्डों एवं आदेश 47 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रक्रिया का वर्णन करें, जिनमें एक व्यथित व्यक्ति न्यायालय के निर्णय का पुनरावलोकन करवा सकता है । अपील एवं पुनरावलोकन के बीच क्या अन्तर है ? क्या एक ही मामले में अपील एवं पुनरावलोकन पेश किये जा सकते हैं ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ?

अथवा

(II) ऐसे दस्तावेज जिनके निष्पादन का अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है, को साबित करने के लिये मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं ? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराओं 68 से 71 के प्रावधानों एवं निर्णय विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचना करें।

Question No.26 **(10 Marks)**

Frame the issues on the basis of the pleadings of the parties noticed below and write the judgment.

Mr. Ram, owner of a house situated within Gram Panchayat Makarwali, District Ajmer, Rajasthan, let out a portion of his house to Mr. Shyam on a monthly rent of Rs.2,000/- on 1.1.2001. On 17.12.2011, Mr. Ram filed a suit for possession against Mr. Shyam before the civil court, after terminating the tenancy by way of a valid notice under Section 106 of the Transfer of Property Act, 1882.

Mr. Shyam filed his written statement raising preliminary objection regarding jurisdiction of civil court in view of provisions of Rajasthan Rent Control Act, 2001. It was contended that as he has entered into an agreement on 12.03.2009 with Mr. Ram for purchase of the suit house and paid a huge sum, the relationship of landlord/tenant between them has ceased to exist. He claimed to be in possession of the suit house as a purchaser in part performance of the agreement dated 12.03.2009.

Mr. Ram filed replication contending that the suit was maintainable before the civil court and Mr. Shyam has been paying the rent till July, 2011. He further contended that the agreement dated 12.03.2009 is inadmissible in evidence as the same is unregistered and unstamped.

प्रश्न संख्या 26

पक्षकारों के अधोवर्णित अभिवचनों के आधार पर विवाद्यकों की रचना करें एवं निर्णय लिखें।

दिनांक 01.01.2001 को ग्राम पंचायत माकरवाली, जिला अजमेर, राजस्थान में स्थित एक मकान के मालिक श्री राम ने उक्त मकान के एक हिस्से को श्री श्याम को 2000 रूपये मासिक किराये पर दिया। दिनांक 17.12.2011 को श्री राम ने श्री श्याम के विरूद्ध सिविल न्यायालय में संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 106 के अन्तर्गत एक वैध नोटिस द्वारा किरायेदारी समाप्त कर कब्जे का वाद दायर किया।

श्री श्याम ने जवाबदावा प्रस्तुत किया एवं राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में सिविल न्यायालय की अधिकारिता के सम्बन्ध में प्रारम्भिक आपत्ति उठाई। यह तर्क दिया गया कि चूंकि दिनांक 12.03.2009 को उसने श्री राम के साथ विवादित मकान खरीदने का करार किया है एवं एक बड़ी राशि का भुगतान किया है, उनके बीच मकान मालिक एवं किरायेदार का सम्बन्ध समाप्त हो चुका है। उसने यह भी दावा किया कि विवादित मकान पर उसका कब्जा खरीददार के तौर पर करार दिनांक 12.03.2009 की आंशिक पालना में है।

श्री राम ने जवाबउल–जवाब प्रस्तुत कर प्रतिवाद किया कि वाद सिविल न्यायालय के समक्ष पोषणीय है एवं श्री श्याम द्वारा जुलाई, 2011 तक किराये का भुगतान किया गया है। उसके द्वारा यह भी प्रतिवाद किया गया कि चूंकि करार दिनांक 12.03.2009 अपंजीकृत एवं अस्टाम्पित है, साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।

****